*Series No.

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका

(5)

नामान्तरण अपील वाद सं0–01 / 2018–19

मो0 सफीरुद्दीन बनाम अंचल अधिकारी, दुमका

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
28.7.21	**आदेश** प्रस्तुत नामान्तरण अपील वाद सं0–01 / 18–19 मो0 सफीरुद्दीन पिता– स्व0 मो0 इस्माईल, मोहल्ला– डंगालपाड़ा, हिजला रोड दुमका, थाना– दुमका टाउन, जिला–दुमका के द्वारा अंचल कार्यालय, दुमका के नामान्तरण वाद सं0–163 / 10–11 के विरुद्ध दायर किया गया है। अपीलकर्ता ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि अपीलकर्ता के पिता– मो0 इस्माईल, पिता– स्व0 शेख ईब्राहीम के द्वारा मौजा–दुमका टाउन नं0–7, तौजी नं0–06, के होल्डिंग नं0–31 / 2 दाग सं0–1948 रकवा 00–01–15 (एक कट्ठा पन्द्रह धुर) जमीन अपने नाम से नामान्तरण करने हेतु आवेदन दिये थे जिसमें कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन एवं 16 आना रैयतों का अनापत्ति के पश्चात अंचल अधिकारी, दुमका के द्वारा नामान्तरण वाद सं0 163 / 10–11, मो0 इस्माईल में मौजा–दुमका टाउन नं0–07, जमाबंदी नं0–31 / 2 / क, दाग सं0–1998, रकवा–00–01–15 धूर 08:00 रुपया लगान निर्धारित करते हुए शुद्धि पत्र (Correction Slip) दिनांक–13.09.10 को निर्गत किया गया। जिसमें दाग सं0–1948 के स्थान पर 1998 दर्ज कर दिया गया है। अपीलकर्ता के द्वारा अपने पिता मो0 इस्माईल के नाम से निर्गत शुद्धि पत्र (Correction Slip) में दाग सं0–1998 के स्थान पर 1948 दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। अंचल अधिकारी, दुमका के पत्रांक–309 / रा0, दिनांक–27.03.19 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित नामान्तरण वाद में संबधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जॉच कराई गई। इस संबंध में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नामान्तरण वाद सं0–163 / 10–11 में मौजा–दुमका टाउन के खाता सं0–31 / 2 / क अन्तर्गत खेसरा सं0–1998 अंकित किया गया है जिसका रकवा 00–01–15 धूर जमीन अंकित किया गया है। आवेदक द्वारा नामान्तरण वाद सं0–163 / 10–11 में अंकित खेसरा सं0–1998 के स्थान पर 1948 दर्ज कराना चाह रहे है। आवेदक का कहना है कि लिपिकीय भूल के कारण खेसरा सं0–1948 के स्थान पर 1998 दर्ज हो गया है। नामान्तरण वाद सं0–163 / 10–11 का मूल अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त	

गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

नामान्तरण एल0आर0डी0सी0, दुमका के नामान्तरण अपील सं0–01/1960–61 के आधार पर किया गया है। जिसका उल्लेख कर्मचारी के प्रतिवेदन में किया गया है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका के नामान्तरण अपील सं0–01/60–61 के आदेश अंचल कार्यालय के नामान्तरण वाद सं0–54/57–58 के विरुद्ध अपील वाद दायर किया गया है। नामान्तरण अपील वाद सं0–163/10–11 के मूल अभिलेख में संलग्न कागजात में सिर्फ नामान्तरण आवेदन में खेसरा सं0–1948 अंकित है इसके अलावा ऐसा कोई कागजात नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वास्तविक खेसरा सं0 क्या है। आवेदक से भी उक्त जमीन की कागजात मांग करने पर इनके द्वारा असमर्थता जाहिर किया गया।

हल्का कचहरी के पंजी II से मिलान करने पर पाया गया कि मौजा–दुमका टाउन के खाता सं0–31/2, खेसरा सं0–1948 रकवा–00–04–03 धूर लगान–04.15 रुपये हबिया बीबी, पति–फेयाज अली वगैरह के नाम से वोल्यूम नं0–V Page no-476 में दर्ज है। इसी खाते में नामान्तरण वाद सं0–163/10–11 में 00–01–15 धूर जमीन के नामान्तरण स्वीकृति मो0 इस्माईल, पिता–स्व0 शेख इब्राहिम के नाम से किया गया है। उक्त आधार पर नामान्तरण वाद सं0–163/10–11 में अंकित खेसरा सं0–1998 लिपिकीय भूल के कारण प्रतीत हो रहा है।

मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अंचल अधिकारी, दुमका के द्वारा निर्गत जाँच प्रतिवेदन, नामान्तरण वाद सं0–163/10–11 का मूल अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, दुमका के नामान्तरण वाद सं0–163/10–11 में एवं उसमें निर्गत शुद्धि पत्र (Correction Slip) में दाग सं0–1948 के स्थान पर भूलवश 1998 अंकित कर दिया गया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अंचलाधिकारी, दुमका, संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं संबंधित अंचल निरीक्षक के द्वारा कागजातों का ध्यानपूर्वक जाँच न कर इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण आदेश निर्गत किया गया। भविष्य में उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अतः अंचलाधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं उक्त नामान्तरण वाद सं0 163/10–11 का जाँच कर सभी विन्दुओं पर संतुष्ट होने के पश्चात् शुद्धि पत्र में संशोधन करेंगे।

लेखापित एवं संशाधित।

28.07.2021

28.07.2021

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
दुमका।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
दुमका।

Digitally signed by ABDUS SAMAD
Date: 2024.07.27 19.05.52 +05:30
Location: 192.168.29.122